

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन कोर्ट के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 2 (21) एससीएसपी/सान्याअवि/स्वच्छकार/2015/11428 दिनांक 11/7/15
बैठक सूचना

केन्द्र सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 26 (1) के क्रम में माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की प्रथम बैठक दिनांक 13 जुलाई, 2015 को 11.30 बजे शासन सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन कमरा नम्बर 19 में आयोजित की जा रही है।

बैठक में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को अस्वच्छ शौचालय का सर्व हेतु जिम्मेदारी दी गई थी उस पर चर्चा।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा (योजना एवं क्रियान्विति)।
3. सभी विभागों में MS Act 2013 प्रावधानानुसार समन्वय पर चर्चा।
4. राज्य सरकार द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों को (मनोनित सदस्यों) सुविधाओं पर चर्चा।
5. MS Act 2013 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर महानगर, नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पालिका में कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं पर चर्चा।
6. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सेपटीटैंक, मलनालो, मलहोल सफाई के दौरान मृत्यु होने पर अब तक कितने व्यक्तियों को मुवावजा दिया गया पर चर्चा।
7. स्वच्छकारों के पुनर्वास पर अब तक की प्रगति पर चर्चा।
8. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

समिति के सदस्यगणों से अनुरोध है कि उक्त एजेण्डे अनुसार बैठक में भाग लेने का श्रम करावें।

A.
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक एफ 2 (21) एससीएसपी/सान्याअवि/स्वच्छकार/2015/11428 दिनांक 1/7/15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राष्ट्रीय, सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह/वित्त/पंचायतीराज/स्वायत्त शासन / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समिति सदस्य श्री रामचन्द्र विधायक डग, 141 जवाहर कॉलोनी भवानीमण्डी, झालावाड।
7. समिति सदस्य श्री कैलाश वर्मा, विधायक बगरू, एम, 19 गांधीनगर, जयपुर।
8. समिति सदस्या सुश्री नीलम पुत्री श्री ओमप्रकाश डबोडिया, पटेल नगर, महेश नगर, जयपुर।
9. समिति सदस्या श्रीमती चन्दा नकवाल, 258 श्यामपुरी हीदा की मोरी गांधी सर्किल के पास, रामगंज, जयपुर।
10. समिति सदस्य श्री चन्द्र प्रकाश चौहान, 6 पांचवती नेहरू कॉलोनी, जोधपुर।
11. समिति सदस्य श्री पुखराज तेली, मोमासरवास, बाल्मिकी बस्ती, वार्ड नं. 4 श्रीडूंगरगढ, बीकानेर।
12. समिति सदस्य, प्रबन्धक, राज्य स्तरीय ट्रेकिंग्स कमेटी, चतुर्थतल, बडौदा भवन, 13 एयरपोर्ट प्लाजा, BSNL के पास दुर्गापुरा टॉक रोड, जयपुर।
13. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह/वित्त/पंचायतीराज/स्वायत्त शासन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सहायक महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम, रेल्वे, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष, राष्ट्रीय, अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
17. अध्यक्ष, राज्य, अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान, जयपुर।
18. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान, जयपुर।
19. निजी सचिव, निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
20. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
21. महाप्रबन्धक, अनु. जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर।
22. ACP, मुख्यावास, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए सम्बन्धित को ई-मेल करावें।
23. जनसम्पर्क अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
24. केयर टेकर शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिनांक पर बैठक हेतु मंत्रालय में कक्ष आरक्षित करने एवं आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
25. गार्ड फाईल

अतिरिक्त निदेशक (SCSP)